

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रतिनिपत्र मुं०-25/2009	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
03.10.2019	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने फर्द दस्तावेजात् के संलग्न कुल किता 8 लिखित शुदा शपथ पत्र पेश किये व वकील प्रतिवादी ने फर्द दस्तावेज के संलग्न किता एक शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये।</p> <p>वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में उभय पक्षकारान् को मूल दावे के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने बाबत अपनी-अपनी सहमति जाहिर की है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर मूल दावा के निस्तारण तक उभय पक्षकारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1295, 1296, 1297, 1317, 1321, 1322, 1323, 1324 कुल किता 8 कुल रकबा 2.07 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1422, 1423 कुल किता 2 कुल रकबा 5.60 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम भोपतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। इस बाबत वकुलाय उभय पक्षकारान् को वरवक्त नोटेड करवाया जाकर पाबन्द किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">(लक्ष्मी कान्हा प्रसाद) सीकर (सीकर) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p>Noted for Status 3/10/19 3-10-19</p>

